संख्या-49 /2022/001-2134223/ 12-2/ 3/ 2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना, 03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजना के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से रूपये 6.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-678/2022-23/फ.ऋ.मो.पुनर्विनियोग, दिनांक 07 जून, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना, 03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में विभागीय बचतों से (संलग्न प्रपत्र-9 (भाग-1) के अनुसार) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 6.55 लाख (रूपया छः लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग मा0 न्यायालय से आच्छादित प्रकरणों में ही किया जाएगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
4. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जाएगी।
5. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
9. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी0-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,55,000 (रुपये छह लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001150300 लघु तथा सीमांत कृषको के फसली ऋण का भुगतान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-49(1)/2022/001-2134223(1)/12-2/ 3/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 जून, 2022 के संदर्भ में।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-3/5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/180587/2022

File No.12-2/3/2022-2-

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

प्रपत्र बी0एम0-09

अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(कृषि) वित्तीय वर्ष 2022-23 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमादित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना					
2401001110300					
01 वेतन	1303.37	6.55	6.55	6.55	1296.82
योग	1303.37	6.55	6.55	6.55	
निम्नलिखितनिधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-115-छोटे उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान					
2401001150300					
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0.00	6.55	6.55	6.55	6.55
योग	0.00	6.55	6.55	6.55	6.55

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण मद में मांग न होने के कारण बचत हो रही है।

(नोट: लागू पचपन हजार मात्र)

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका में पारित आदेशों के क्रम में संबंधित कृषकों को भुगतान किया जाना है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

वित्त-1-4-E-1-13-X-2022-23

संख्या: आर.ई. दिनांक: 23 जून, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर-----
नाम व पदनाम: राधेश्याम, उप सचिव
प्रशासकीय विभाग: कृषि विभाग

हस्ताक्षर----------
नाम व पदनाम: (फूल चन्द यादव), अनु सचिव, वित्त विभाग।

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 17-06-2022 13:18:37
Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः2134223(2)/12-2/3/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
2. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
3. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश,
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-5,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।